

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :

6 OCT 2016

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर दन्त रोग विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा। संबन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज/दन्त कॉलेज चिकित्सक शिक्षक के कार्यग्रहण से पूर्व इनकी संतान एवं संपत्ति सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर उसका सत्यापन अपने स्तर से करायेगें :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नत पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० पी.के. अग्रवाल	आचार्य (वर्तमान में सेवानिवृत्त)	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2011
2.	डॉ० अंजली कपूर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
3.	डॉ० वी.के. वाष्णीय	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
4.	डॉ० सीमा श्योरान (चौधरी)	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
5.	डॉ० अंजली दवे	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
6.	डॉ० मंजू गुप्ता	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
7.	डॉ० उमा गुप्ता	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
8.	डॉ० रंजन माथुर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
9.	डॉ० ज्योति अमृतलाल वर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2015
10.	डॉ० पूर्णिमा अग्रवाल	सह आचार्य	आचार्य	01.04.2015
11.	डॉ० एम.आर. ढालिया	सह आचार्य	आचार्य	01.04.2015

आज्ञा से,

(डी.एल. तंवर)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ उदयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव